

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर

क्रमांक: RABI-2079-OSMF-24-05

दिनांक: 16/10/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/SIK/0008626

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक raj kaj ref no. 3131092 & 1658-69 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सीकर	321	Other Than SMF	50%-75%	6599040
सीकर ग्रामीण	52	Other Than SMF	50%-75%	1278897
नेछवा	2	Other Than SMF	50%-75%	1891
रींगस	65	Other Than SMF	50%-75%	2147610
रामगढ़ शेखावाटी	149	Other Than SMF	50%-75%	3091563
फतेहपुर	85	Other Than SMF	50%-75%	2213059
खण्डेला	225	Other Than SMF	50%-75%	2900361
दांतारामगढ़	8	Other Than SMF	50%-75%	102000
लक्ष्मणगढ़	1630	Other Than SMF	50%-75%	54476936
धोद	41	Other Than SMF	50%-75%	972701
योग	2578			73784058

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-05-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
सीकर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

Document certified by
MUKUL SHARMA
Digital Signature
SHARMA
Designation : District & District
Magistrate
Date :18-10-2024 01:54:10

